रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 212] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 26, 1975/श्रावण 4, 1897

No. 212] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 26, 1975/SRAVANA 4, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 26th July 1975

G.S.R. 428(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 157/74-Central Excises, dated the 14th December, 1974, the Central Government hereby fixes, for unpurified Sulphuric acid falling under Item No. 14G of the First Schedule to the said Act, the tariff value—

(a) if its strength is ninety-three per cent or more but does not exceed ninety-nine per cent, at five hundred and fifty-five rupees per metric tonne; and

(b) if its strength is less than ninety-three per cent. at an amount bearing to the amount of five hundred and fifty-five rupees, the same proportion as the strength of the acid bears to the minimum strength of ninety-three per cent.

[No. 170/75]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1975

सा० का० नि० 428(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 133/74-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 24 दिसम्बर, 1974 को अधिक्रांत करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद सं० 14 ह के अन्तर्गत आने वाली प्रशोधित ऑक्सीजन गैस के लिए टैरिफ मूल्य नियत करती है —

(क) यदि इसकी सांद्रता तिरानवे प्रतिशत या अधिक है किन्तु निन्यानवे प्रतिशत से अधिक नहीं है तो पांच सौ पचपन रुपये प्रति मीट्रिक टन और ;

(ख) यदि इसकी सांद्रता तिरानवे प्रतिशत से कम है तो पांच सौ पचपन रुपये की रकम के उसी अनुपात में जितना कि आक्सीजन की सांद्रता का तिरानवे प्रतिशत की न्यूनतम सांद्रता से अनुपात है ।

[सं० 170/75]

G.S.R. 429(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of Section 3 of the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 133/74-Central Excises, dated the 24th August, 1974, the Central Government hereby fixes, for gases specified in column (3) of the Table hereto annexed and chargeable with duty *ad valorem* under the sub items, specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, of Item No 14H of the First Schedule to the said Act, the tariff values specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table.

THE TABLE

Serial No.	Sub-item of Item No. 14H	Description	Tariff value
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	(i)	Oxygen, Compressed—	
		(a) cleared in cylinders . .	Rupees three per cubic metre
		(b) cleared through pipe lines	Rupee one per cubic metre
2.	(i)	Liquid oxygen in terms of gas	Rupees two per cubic metre
3.	(ii)	chlorine	
		(a) Chlorine (liquid) . .	Rupees six hundred per metric tonne
		(b) Dry chlorine in gaseous form	Rupees three hundred and sixty per metric tonne.

[No 171/75]

G. S. MAINGI, Under Secy

सा० का० नि० 429 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 133/74 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 24 अगस्त, 1974 को अतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट और उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 14ज की उप-मदों, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट के अधीन मूल्यानुसार शुल्क से प्रभारीय गैसों के लिए उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट टरिफ मूल्य नियत करती है ।

सारणी

क्र०सं०	मद सं० 14ज की उपमद	वर्णन	टैरिफ मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	(i)	आक्सीजन, कम्प्रेस की हुई—	
		(क) सिलैंडरों से आपूर्तिकृत	तीन रु० प्रति क्यूबिक मीटर
		(ख) पाइपलाइनों से आपूर्तिकृत	एक रु० प्रति क्यूबिक मीटर
2.	(i)	द्रवीकृत आक्सीजन गैस के रूप में ।	दो रुपया प्रति क्यूबिक मीटर
3.	(i)	(क) क्लोरीन	छः सौ रु० प्रति मीट्रिक टन
		(ख) सूखी क्लोरीन गैस के रूप में	तीन सौ साठ रु० प्रति मीट्रिक टन

[सं० 171/75]

जी० एम० मैंगी, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975